न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	**अंशुल शर्मा, R.J.S.**
एफआईआर संख्या व थाना	–	177/2019, पीएस– नेछवा
सीआईएस नं०	–	665/2019
सीएनआर नं०	–	RJSK140014792019

राजस्थान राज्य **बनाम** **कैलाशचंद**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504 भा.दं.सं.

भाग– प्रथम **दिनांक–08.07.2026**

A

परिवादी	मदनलाल
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	**1. कैलाशचंद पुत्र भानाराम, उम्र 25 साल, निवासी मीलों की ढ़ाणी, तन मीरण, थाना नेछवा, जिला सीकर।**
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राजेश शिवरान।

B

अपराध की दिनांक	05.08.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07.08.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18.09.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.09.2019
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	23.03.2020
निर्णय दिनांक	08.07.2026

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

1.	कैलाशचंद			धारा 323, 341, 325 व 504 भा०दं०सं०	दोषमुक्त		

<u>भाग द्वितीय</u>

<u>अभियोजन गवाहान की सूची</u>

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू 1	मदन	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	हुणताराम	नक्शामौका गवाह
पी.डब्ल्यू 3	विमला	चश्मदीद
पी.डब्ल्यू 4	हरलाल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 5	कुंभाराम	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	छोटी देवी	मजरूब
पी.डब्ल्यू 7	डॉ. शशिकांत शर्मा	चिकित्सा अधिकारी
पी.डब्ल्यू 8	टोडरमल	अनुसंधान कर्ता

<u>अभियोजन प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	**विवरण**
प्रदर्श पी. 1	रिपोर्ट
प्रदर्श पी. 2	नक्शामौका
प्रदर्श पी. 3	बयान धारा 161 सीआरपीसी हरलाल
प्रदर्श पी. 4	बयान धारा 161 सीआरपीसी कुंभाराम
प्रदर्श पी. 4 ए	चोट प्रतिवेदन छोटी देवी
प्रदर्श पी. 5	एक्स–रे प्लेट
प्रदर्श पी. 6	एक्स–रे रिपोर्ट

प्रदर्श पी. 7	चाक एफआईआर

नोटः– प्रकरण में सहवन से एक ही प्रदर्श पर दो नंबर अंकित हो गए हैं जिसे उक्त सारणी के माध्यम से दुरस्त किया जाकर क्रमशः प्रदर्श पी 4 व प्रदर्श पी 4 ए किया जा रहा है।

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक–08.07.2026</u>**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी मदनलाल ने दिनांक 07.08.2019 को एस.पी. कार्यालय सीकर में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि *उसके छोटे भाई की पत्नी छोटी देवी के दिनांक 05.08.2019 को शाम करीबन 6.00 बजे श्योपाल, कैलाश ने छोटी देवी के बच्चे घर से खेत जा रहे थे तो रास्ते में उक्त आरोपियों ने बच्चों को रोककर गाली –गलौच की तो बच्चों की माता छोटी देवी हो–हल्ला सुनकर आयी। आते ही छोटी देवी के साथ भी गाली–गलौच व स्टील के सरियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। जिसमें एक हाथ की दो हड्डी टूट गई व पीठ व छाती, बांये पैर पर चोट आयी। छोटी देवी के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया तथा एक साईड के कान बाला व गले का लोकेट तोड़ लिया। इसी बीच उसने बीचबचाव कर छुड़वाया तो उसके साथ मारपीट करके भाग गये....आदि–आदि।*

2. उक्त इस्तगासा के आधार पर प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना, नेछवा, सीकर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 177/2019 दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. उक्त आपराधिक धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 341, 323, 325, 504 भा०दं०सं० का आरोप पृथक से लिखाया जाकर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित

करवाये गये।

6. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा जिसपर साक्ष्य सफाई का अवसर दिया गया।

7. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन की ओर से यह कथन रहें कि अभियुक्त के विरूद्ध गवाहानों द्वारा छोटी देवी व परिवादी के साथ मारपीट किए जाने के कथन किए गए हैं तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों से अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर दण्डित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन रहें कि सभी गवाहानों के कथनों में भारी विरोधाभास रहा है तथा प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिससे अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदू है–

"क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.08.2019 को समय 6.00 पीएम या उसके लगभग स्थान मौजा मीलों की ढ़ाणी में परिवादी के छोटे भाई की पत्नी छोटी देवी के बच्चों को रोककर स्वेच्छा सदोष अवरोध कारित कर छोटी देवी के साथ कुंदाले से स्वैच्छया मारपीट कर साधारण व दाहिने हाथ में गंभीर उपहतियां कारित की तथा गाली–गलौच कर लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने साशय अपमानित किया?

यदि हां तो अपराध के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

8. पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करें तो सर्वप्रथम प्रकरण में परिवादीया गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 मदन** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि करीबन चार साल पुरानी बात है। शाम को करीबन छः बजे के आसपास की बात है, वह खेत में था

और उसकी साली छोटी देवी भी खेत में थी। छोटी देवी के दो बच्चे जो आ रहे थे, उन्हें शिवपाल व कैलाश ने रोक लिया, जब छोटी देवी उन्हें लाने के लिए गई तो उन्होंने छोटी के साथ मारपीट की। बार–घोड़े की आवाज सुनकर वह गया और छोटी देवी को छुड़ाया। छोटी देवी के हाथ पर चोट आयी थी और छोटी देवी के कान में एक बाला भी वे लोग ले गये। छोटी देवी को इलाज के लिए नेछवा लेकर गए, जहां से सीकर भर्ती करवाया। छोटी देवी के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहले नेछवा थाने गए, जहां उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सीकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, नक्शामौका प्रदर्श पी 2 पर उसकी अंगुठा निशानी है।

जिरह में गवाह कथन करता है कि चार साल पहले की रिपोर्ट सिपाही ने लिखी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर उसके और निवास का अंगुठा है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 कितनी तारीख को लिखी थी उसे पता नहीं है। रिपोर्ट में एक बाले की बात लिखी थी। उसके और घटनास्थल के बीच की काफी दूरी है, उसे काफी दूर होकर जाना पड़ता है। वह घटनास्थल पर घटना के 15–20 मिनट बाद पहुंचा था, उसके जाने से पहले वे भाग गए थे। गवाह द्वारा जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था उस समय घटना कारित करने वाले कोई आलामात मौजूद नहीं होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। वह घटनास्थल पर पहुंचा उस समय छोटी नीचे गिरी हुई थी। ये विवाद कैलाश के खेत में से पगडण्डी से जाने को लेकर हुआ था, पगडण्डी का रस्ता नक्शे में कटा हुआ नहीं है। गवाह द्वारा छोटी देवी के खेत में रस्ता कैलाश के खेत के सींव की सहारे से लगता है जिस पर काफी साधन आवागमन करते होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। विवादित स्थल का जो खेत है जिसके रास्ते को लेकर विवाद हुआ था उसको कैलाश व उसका भाई जोतता है। पुलिस सीकर जाने के दो दिन बाद आई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिए थे। पुलिस ने उसके किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी नहीं करवाए थे। प्रदर्श पी 01 देने के बाद ना तो कभी पुलिस उसके पास आई, ना ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। उसके सामने कोई

मारपीट नहीं हुई थी। उक्त घटना किस हथियार से कारित हुई उसे पता नहीं है। उसने पुलिस को लडाई–झगड़े की बात नहीं बताई थी। कैलाश ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की थी, इस बात को लेकर ही उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नक्शामौका प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा–पढ़ी की गई है उसे पता नहीं है। उसका अंगुठा खाली कागजों पर थानेदारजी ने गुवाड़ी में करवाया था।

9. गवाह **पी.डब्ल्यू.–2 हुणताराम** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस आई उस दिन क्या तारीख थी, क्या वार था, कौनसी साल थी व कौनसा महीना था, उसे पता नही है। लगभग चार से पांच साल पहले की बात थी। नक्शेमौके पर हस्ताक्षर करवाए तब उसे पढकर सुनाया था। उसे याद नहीं है कि नक्शे मौके में क्या लिखा हुआ था। उसके अलावा मदनजी के, रामनिवास जी के हस्ताक्षर करवाए थे। एक–दो और थे जिनके नाम याद नहीं है। पुलिस आई तब वे कुल तीन–चार जने थे। उनके अलावा वहां पर और कोई नहीं थे और लोग खेत में थे। नक्शेमौके पर पीड़िता छोटी देवी का खेत दर्शा दिया था। खेत में जाने वाले रास्ते को भी दर्शा दिया था। उसने लडाई–झगडा नहीं देखा था। उसके बाद वह वहां पर आ गया था। पुलिस में उसके बयान हुए थे। पत्रावली में मौजूद क्यों नहीं है वह नहीं बता सकता। गवाह द्वारा पुलिस मौके पर आई तब उनके साथ कोई लेडिज पुलिस नहीं होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। विमला के हस्ताक्षर के अलावा किसी लेडिज के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे।

10. गवाह **पी.डब्ल्यू 3 विमला** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि लगभग पांच साल पहले की बात है। शाम को करीबन छः बजे उनके खेत जाने वाले रास्ते पर कैलाश व शिवपाल ने छड़े लेकर रास्ता रोक लिया। बच्चे तथा बच्ची के साथ मारपीट की आवाज सुनकर छोटी देवी भाग कर गई तब छोटी देवी के साथ कैलाश वगै. ने मारपीट की। उसके पति व उसने छोटी देवी को संभाला जो कि मारपीट की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने छोटी देवी के साथ मारपीट होते हुए देखी थी और उसने ही

इलाज के लिए छोटी देवी को भर्ती करवाया था। छोटी के मारपीट में हाथ तोड़ दिया था तथा कमर व सर में चोटें आयी थीं।

जिरह में गवाह कथन करती है कि इस मारपीट की रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई थी और किसी ने नहीं करवाई थी। रिपोर्ट थानेदार जी ने लिखी थी और उसने हस्ताक्षर किये थे। मुल्जिमान उसके तथा उसकी बच्चियों के पीछे भागे थे। बच्चों के कोई चोट नहीं आई थी। उसके पति के चोट आई थी। उसके कोई चोट नहीं आई थी। उसके पति के चोटों का मेडिकल कराया था तथा पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी थी। उनका खेत, छोटी तथा विमला का खेत घटनास्थल पर ही है दूर नहीं है। कैलाश व श्योपाल दोनों ने मारपीट की। कौनसे मुल्जिम ने पीडिता को कहां मारी इस बात का उसे पता नही है। जब मारपीट हुई तब वहां पर छः –सात पडौसियों ने देखा था, लेकिन छुडाया नहीं। पुलिस मौके पर आई तब वह वहां गई थी। पुलिस ने नक्शेमौके पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। उसके अलावा और किसके हस्ताक्षर नक्शेमौके पर करवाए थे, उसे पता नहीं है। उनके खेत का रास्ता कटान में है या नहीं उसे ध्यान में नहीं है। वह रास्ता कैलाश आदि का नहीं है। उनके खेत का रास्ता ही है। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदश् डी 1 का हिस्सा ऐ से बी भाग उसने पुलिस को सही लिखाया होना बताया। पुलिस जब मौके पर आई थी तब उन्होंने रास्ते में डाली छडियां दिखा दी थी पुलिस ने नक्शेमौके में दर्शा दिया था। घटनास्थल पर पहले उसके पति भाग कर गये थे फिर वह वहां गई थी। उसके जाने से पहले उसके पति के भी लाठी की दी थी।

11. गवाह **पी.डब्ल्यू 6 छोटी देवी** न्यायालय समक्ष प्रकरण में मजरूब के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि लगभग पांच साल पहले की बात है। करीबन शाम को सात बजे की बात है। उसके बच्चे खेत आ रहे थे, वह उस समय खेत में थी। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर वह आयी तो देखा कि कैलाश व श्योपाल ने सरिये से उसके मारी। जिससे उसका हाथ टूट गया। उसके कमर के निचले हिस्से और पैर पर भी चोट आयी। उन लोगों ने उसके कान का बाला और गले का फुलड़ (लोकेट) निकाल लिया। उसके

बच्चों के वह लोग पीछे भागे थे, जिस वजह से वह रोये थे और रोने की आवाज सुनकर वह भागी थी। उसने उसके लगी चोटें डॉक्टर को दिखाई थी। नक्शामौका प्रदर्श पी 2 वाप वाई स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है।

जिरह में गवाह कथन करती है कि घटना की तिथि, मिथि, वार उसे याद नहीं है। घटना की रिपोर्ट उसके जेठ, भाई व बहिन ने दी थी। घटना की रिपोर्ट पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये थे, उन्हीं लोगों ने किये थे। उसके तो केवल एक जगह अस्पताल में हस्ताक्षर करवाये थे और डॉक्टर को हाथ दिखाया उस समय करवाये थे। उसके अलावा उसके कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। वह चोट लगते ही बेहोश नहीं हुई थी। फिर वह उसके घर जाने पर बेहोश हुई थी, उसे घर पर पकड़ कर ले गये थे। उसकी जगह–जगह से खाल छिल गई थी। उसके दोनों ने चोट मारी थी। उसके सरियों की धड़ाधड़ मारी थी, दोनों ने एक जगह ही उसके चोट मारी थी। उसके कमर पर कैलाश ने मारी थी और हाथ पर श्योपाल ने मारी थी। उनका जो खेत का रास्ता है वह कटान का है जो उनके भाईयों का है। वह पटवारी के नक्शा में है तो उसे पता नहीं है। उसको इस बात का पता नहीं है कि पटवारी का कागज उसने पत्रावली पर पेश किये है या नहीं। कुम्भाराम और हरलाल उसके जेठ के बेटे हैं। वे दोनों सही बात बोलने वाले नहीं है, झूठे लोग हैं। मदनलाल उसके जेठ व बहनोई लगते हैं, जो मेरे बहिन को ब्याह हुए हैं। हनुताराम उसके सगे भाई लगते हैं। विमला देवी उसकी बहिन भी लगती है और उसकी जेठानी भी लगती है। गवाह द्वारा उस समय उनके बीच रास्ते का विवाद चल रहा था, उसने सीकर के अलावा उसकी चोटों को कहीं नहीं दिखाया होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

12. गवाह **पी.डब्ल्यू 7 डॉ. शशिकांत शर्मा** न्यायालय समक्ष प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 05.08.2019 को वह सीएचसी नेछवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था। एसएचओ नेछवा की तहरीर पर मजरूब छोटी देवी की चोटों का मुआयना किया जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी– चोट सं. 1 दांये हाथ पर दर्द व सूजन के साथ चोट, चोट सं. 2 दर्द पीठ के पीछे जाहिर किया, चोट

सं. 1 कुंद हथियार से कारित थी, जिसके लिए एक्सरे की राय दी। एक्स–रे देखने के बाद उक्त चोट गंभीर प्रकृति की पायी गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह् अंकित है। जिसकी एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स–रे फूलचंद रेडियोग्राफर द्वारा खींची गई है, फूलचंद रेडियोग्राफर के हस्ताक्षर प्रदर्श पी 5 व पी 6 पर सी से डी हैं। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 की चोट नं. 1 की राय प्रदर्श पी 4 के पीछे भाग पर ई से एफ अंकित है।

जिरह में गवाह द्वारा कथन कर रोड़ दुर्घटना में उक्त चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। कठोर व सख्त धरातल पर गिरने से उक्त चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। गवाह द्वारा इस मामले में रेडियोग्राफर वह स्वयं नहीं होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

13. गवाह **पी.डब्ल्यू 8 टोडरमल** न्यायालय समक्ष प्रकरण के अनुसंधान कर्ता के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 07.08.2019 को वह पुलिस थाना नेछवा में एचसी के पद पर था। थाने का चार्ज उसके पास था। प्रार्थी मदनलाल ने थाना उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष पेश की। जिसके एक्स स्थान पर मदनलाल की अंगुठा निशानी है। ए से बी व सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन है जिसपर मुकदमा नं. 177/19 दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की। ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श पी 2 पर ए से बी व सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मदनलाल व वाई स्थान पर छोटी देवी की अंगुठा निशानी है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह मदनलाल, छोटी देवी, विमला देवी, कुंभाराम, हरलाल व अशोक के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। छोटी देवी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 5 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 शामिल पत्रावली की। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान मुल्जिम कैलाशचंद

के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 व 504 आईपीसी प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ अशोक चौधरी को सुपुर्द की जिन्होंने उक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

जिरह में गवाह द्वारा कथन कर एफआईआर उसने ही थाने में दर्ज की थी व उसने ही तफ्तीश उसके नाम की होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। अस्पताल में थानाधिकारी ने बयान लिये या नहीं लिये वह नहीं बता सकता, यह थानाधिकारी ही बता सकते हैं। प्रदर्श पी 1 में जी से एच भाग में जो बाते लिखी है वह गलत होना बताया। गवाह द्वारा एफआईआर सीधी थाने में दर्ज हुई थी जो कि पुलिस अधीक्षक सीकर के अंकन द्वारा हुई थी , पुलिस अधीक्षक महोदय से पीड़ितगण ने मुलाकात की उससे पहले उससे मुलाकात नहीं की, थानाधिकारी से उनकी मुलाकात हुई हो तो वह नहीं बता सकता होने तथा घटना दिनांक 05–08–2019 को बतायी गयी है और एफआईआर तीन दिन देरी से 07–08–2019 को दर्ज करवायी गयी, छोटी देवी के अलावा और किसी के कोई चोटे नहीं आयी है व एफआईआर प्रदर्श पी. 1 में घटना को देखने वाले किसी भी गवाह का नाम नहीं लिखा है तथा गवाह मदनलाल, छोटी देवी, विमला देवी, कुंभाराम, हरलाल व अशोक एक ही परिवार के सदस्य होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। गवाह द्वारा वह घटनास्थल का नक्शामौका बनाने गया, उस समय वहां पर घटना के कोई आलामात मौजूद नहीं थे व उसने न ही नक्शेमौके में आलामात लिखे हैं, छोटी देवी वगैरह के रास्ते के विवाद के संबंध में उसने कोई पटवारी व गिरदावर से रिकॉर्ड प्राप्त किया और न ही बयान लिये होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। पीड़ितगण के खेत का रास्ता किधर से जाता है, वह नहीं बता सकता। उसकी तफ्तीश में रास्ते का कोई विवाद नहीं आया था। गवाह द्वारा मुल्जिम से किसी प्रकार की वस्तु की बरामदगी नहीं हुई होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

14. गवाह **पी.डब्ल्यू 4 हरलाल** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसने कोई घटना होते हुए नहीं देखी। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन

करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का हिस्सा सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया था। गवाह द्वारा घटना दिनांक 05.08.2019 को वह कहां था, वह नहीं बता सकता होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में कथन किया कि जब वह रोड़ से गुजर रहा था, तब छोटी देवी व उसका पति उसके सामने से बाईक लेकर गुजर रहे थे। उसके सामने बाईक फिसल गयी थी, जिसमें छोटी देवी को चोट आयी। उसके टेंपों से अस्पताल पहुंचाया। छोटी देवी व अभियुक्त के मध्य रास्ते को लेकर झूठा मुकदमा चल रहा है। **पुनः परीक्षण** में गवाह द्वारा कथन किया कि जो बात उसने जिरह में बतायी इससे पहले यह बात उसने किसी को नहीं बताई।

15. इसी प्रकार गवाह **पी.डब्ल्यू 5 कुंभाराम** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसने कोई घटना होते हुए नहीं देखी। जिरह द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का हिस्सा सुनकर नहीं लिखाया होना बताया। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह द्वारा कथन कर उसके सामने कोई घटना नहीं घटित हुई हो और ना ही उसने घटना के बारे में सुना होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

16. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323,341, 325, 504 भा.दं.सं. को साबित करने हेतु न्यायालय समक्ष कुल 8 गवाहानों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से मुख्यतः यह कहानी रही कि परिवादी की ओर से एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि दिनांक 05.08.2019 को करीबन 6.00 बजे श्योपाल, कैलाश पुत्र भानाराम ने छोटी देवी के बच्चे जो कि घर से खेत जा रहे थे को रास्ते में रोककर गाली−गलौच की तो उनका हो−हल्ला सुनकर उनकी माता छोटी देवी आयी, जिसके साथ आते ही अभियुक्तगण द्वारा गाली−गलौच की गई व स्टील के सरियों से मारपीट की गई। जिससे छोटी देवी के एक हाथ की दो हड्डी टूट

गई व पीठ, छाती व बांये पैर पर चोट आयी। अभियुक्तगण ने छोटी देवी के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया व उसके कान के एक साईड का बाला व गले का लोकेट तोड़ लिया। इसी बीच परिवादी मदनलाल ने बीचबचाव कर छुड़ाया तो मदनलाल के साथ मारपीट कर अभियुक्तगण भाग गये...आदि।

17. अभियोजन कहानी के समर्थन में स्वयं परिवादी अपनी रिपोर्ट की ताईद हेतु न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ। जिसके द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर होना स्वीकृत किया गया, परंतु दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह द्वारा यह कथन किए गए कि रिपोर्ट सिपाही द्वारा लिखी गई थी। अपने मुख्य परीक्षण से भिन्न कथन करते हुए गवाह द्वारा यह भी कथित किया गया कि उसके व घटनास्थल के बीच काफी दूरी है तथा वह घटनास्थल पर 15–20 मिनट बाद पहुंचा था जबकि अभियुक्तगण उसके जाने से पहले ही भाग गये थे। घटनास्थल पर छोटी देवी नीचे गिरी हुई थी तथा विवाद कैलाश के खेत में से पगडंडी से जाने को लेकर हुआ था। गवाह द्वारा यह भी कथन रहे कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी तथा घटना किस हथियार से कारित हुई, इसके संबंध में जानकारी होने से इंकार किया गया। गवाह आगे विरोधाभासी कथन करते हुए कैलाश द्वारा उसके साथ भी मारपीट किये जाने के कथन किए गए।

18. परिवादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में किए गए कथनों से स्पष्ट है कि जहां एक ओर परिवादी द्वारा वक्त घटना मजरूब छोटी देवी के साथ मारपीट होने पर भी बचाव किये जाने का कथन किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल पर जाने से पहले ही अभियुक्तगण द्वारा भागे जाने का कथन रहा है व गवाह द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि उसके समक्ष कोई मारपीट नहीं हुई, जिससे परिवादी के विरोधाभासी कथनों से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्यों की ताईद नहीं होती है। इसी क्रम में गवाह की पत्नी न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित हुई है जो कि अपने मुख्य परीक्षण में छोटी देवी के साथ मारपीट कैलाश व शिवपाल द्वारा किये जाने व बीचबचाव उसके व उसके पति द्वारा किये जाने के कथन करती है। जबकि स्वयं परिवादी गवाह मदनलाल पी.डब्ल्यू 1 द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 3

की वक्त घटना उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं किए गए हैं। अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 द्वारा सरिये से मारपीट होने का कथन किया गया है जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में घटना किस हथियार से कारित हुई, उसके संबंध में उसे पता नहीं होने के कथन किए गए।

19. नक्शामौका प्रदर्श पी 2 के गवाह पी.डब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुए हैं जो कि अपने प्रतिपरीक्षण में नक्शेमौके की लिखावट के संबंध में उसे याद नहीं होने के कथन किए गए। गवाह द्वारा लड़ाई–झगड़ा नहीं देखे जाने के भी कथन किए गए। न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू 4 हरलाल व पी.डब्ल्यू 5 कुंभाराम द्वारा न्यायालय समक्ष कोई घटना नहीं देखे जाने के कथन किए गए, जिन्हें पूर्ण रूप से पक्षद्रोह घोषित किया गया।

20. प्रकरण में मजरूब छोटी देवी न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 6 के रूप में परीक्षित हुई है जो कि अपने मुख्य परीक्षण में घटना दिवस को उसके बच्चों को खेत से आते समय कैलाश व श्योपाल द्वारा रोके जाने व मजरूब द्वारा देखे जाने पर उसके साथ भी सरिये से मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिये जाने के कथन करती है। गवाह द्वारा यह भी कथन रहे हैं कि उसके कमर के नीचले हिस्से व पैर में भी चोटें आयी तथा उसके कान का बाला और गले का फूलड़ा निकाल लिया गया। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह द्वारा यह कथन रहे हैं कि उसके चोट लगते ही वह बेहोश नहीं हुई थी व घर पर जाकर बेहोश हुई तथा उसके साथ सरियों से धड़ाधड़ मारपीट हुई थी। न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए गवाह पी.डब्ल्यू 4 हरलाल व पी.डब्ल्यू 5 कुंभाराम के संबंध में भी गवाह द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों का उसके जेठ के बेटे होने का कथन किया गया व यह भी स्वीकृत किया कि उनके बीच रास्ते का विवाद चल रहा था।

21. मजरूब गवाह पी.डब्ल्यू 6 की साक्ष्य से प्रकट है कि गवाह के कथनों में विरोधाभास प्रकट आया है। मजरूब के साथ सरियों से मारपीट किये जाने के कथन किए गए हैं, परंतु इसके संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 का अवलोकन करने से प्रकट है कि मजरूब की चोटें कुंद हथियार से कारित होने, परंतु चोट गंभीर प्रकृति की होने का अंकन किया गया है। जिसके संबंध में स्वयं चिकित्सक अधिकारी न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 7 के रूप में परीक्षित

हुए हैं। चिकित्सक गवाह द्वारा परिवादी की आयी दो चोटों में से एक चोट में कोई जाहिरा चोटें नहीं होने व दांये हाथ में आयी चोट का गंभीर प्रकृति की चोट होना कथित किया गया है, परंतु दौराने प्रतिपरीक्षण यह भी स्वीकृत किया है कि उक्त चोटें रोड़ दुर्घटना या कठोर व सख्त धरातल पर गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परिवादीया की ओर से जिस प्रकार से उसके साथ सरिये से मारपीट कर जगह–जगह चोटें व खून आने का कथन बढ़ाचढ़ाकर किया गया है, उसके अनुसार चोटें चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 में अंकन नहीं हैं। पत्रावली पर परीक्षित आये परिवादी, मजरूब व अन्य गवाहों के कथनों में विरोधाभास प्रकट आया है जिससे वक्त घटना किन–किन व्यक्तियों की उपस्थिति रही , इसपर संशय प्रकट होता है। परिवादी स्वयं के भी चोटें आने का अंकन रहा है, परंतु इसके संबंध में कोई चोट प्रतिवेदन व अन्य आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। मजरूब द्वारा अपने बच्चों के बचाव हेतु घटनास्थल पर पहुंचे जाने का कथन रहा है, परंतु उसके संबंध में कोई गवाह न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं है। न्यायालय समक्ष अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित हुए हैं। जिनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकृत किया गया है कि मदनलाल, छोटी देवी, विमला, अशोक, कुंभाराम, हरलाल जो कि न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं।

22. पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य से प्रकट है कि चोट प्रतिवेदन अनुसार मजरूब छोटी देवी के गंभीर प्रकृति की चोटें आने का अंकन है, परंतु उक्त चोटें अभियुक्त कैलाशचंद द्वारा मजरूब को सदोष अवरोध कारित कर स्वेच्छा कारित की गई हो, यह तथ्य पत्रावली पर परीक्षित हुए समस्त गवाहों के विरोधाभासी कथनों से प्रकट नहीं है। अभियुक्त कैलाशचंद द्वारा मजरूब के साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की गई हो या मजरूब के साथ गाली–गलौच कर साशय अपमानित किया हो, यह तथ्य अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः संपूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन अभियुक्त कैलाशचंद के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 504 भा०दं०सं० को संदेह से परे प्रमाणित करने में

असफल रहा है जिससे अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आ दे श–

23. परिणामतः अभियुक्त **कैलाशचंद पुत्र भानाराम, उम्र 25 साल, निवासी मीलों की ढ़ाणी, तन मीरण, थाना नेछवा, जिला सीकर** को अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

24. न्यायालय के आदेशानुसार धारा–437(ए) सीआरपीसी के अभियुक्त की ओर से पेश हुए अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(अंशुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़,
जिला सीकर

25. निर्णय आज दिनांक 08.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़,
जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.13 16:07:28 IST